[भारत का राजपत्र, भाग I—खण्ड 1, दिनांक 15 मार्च 2014 से उद्धरण]

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी 2014

संकल्प

राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख तथा शिक्षा परिषद्

सं. 1-1/2013-ईसीसीई--भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा की प्रणाली तैयार करने के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख तथा शिक्षा (ईसीसीई) नीति के तहत् राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा परिषद् की परिकल्पना की गई है राष्ट्रीय ईसीसीई परिषद् ईसीसीई के लिए राष्ट्रीय अवधारणा तथा रणनीति तैयार करेगी और व्यापक ईसीसीई तंत्र स्थापित करके भारत में ईसीसीई की नींव को सुदृढ़ करने में सहयोग प्रदान करेगी। राष्ट्रीय ईसीसीई परिषद् भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत् राष्ट्रीय स्तर की संस्था होगी, जो प्रशिक्षण पाठ्यचर्या की रूपरेखा, मानकों तथा संबद्ध कार्यकलापों की पद्धतियां उपलब्ध कराएगी तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख तथा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के उद्देश्य से कार्यात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देगी।

प्रारंभ में यह एक सलाहकार तथा निरीक्षण निकाय होगा जो धीरे-धीरे ईसीसीई के क्षेत्र में व्यवस्थित सुधारों के लिए एक स्वायत्त विनियामक निकाय बन जाएगा। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड), ईसीसीई परिषद् के लिए जानकारी जुटाएगा तथा शुरू में स्थान और संभार तंत्र की अपेक्षित सहायता के साथ इसकी मदद करेगा। इसी प्रकार, निपसिड के क्षेत्रीय केन्द्रों में ईसीसीई से संबद्ध कार्यक्रम प्रणाली, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एससीईआरटी)/राज्य शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (एसआईईटी) तथा विश्वविद्यालयों के साथ भागीदारियों के माध्यम से क्षेत्रीय ईसीसीई परिषदों की स्थापना की जा सकती है। प्रणाली में तालमेल लाने के लिए राज्य ईसीसीई परिषदों को गठित करने के लिए भी राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

2. उद्देश्य

राष्ट्रीय ईसीसीई परिषद् का मुख्य उद्देश्य 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के छोटे बच्चों के लिए अपेक्षित गुणवत्ता के साथ सर्वांगीण तथा समेकित विकास के लिए अवधारणा तथा प्रथा बनाना है। इसे एक व्यापक ईसीसीई प्रणाली स्थापित करके तथा समेकित ढांचा विकसित करके प्राप्त किया जाएगा जो बहु-माडल तथा बहु-घटक उपायों, दीर्घकालिक डाटा संकलन और आयोजना, तथा अधिक कारगर अंतर-क्षेत्रक सेवा प्रदायगी की पद्धतियों और प्लेटफार्मों को सुगम बनाते हुए तथा उनकी सहायता करते हुए भारत में ईसीसीई कार्यक्रमों की बुनियाद को सुदृढ़ बनाने में योगदान देगा।

परिषद् ईसीसीई एवं संबंधित नीतियों को बढ़ावा देगी तथा पेशेवरों एवं देखभालकर्ताओं सहित परिवारों, समुदायों तथा पूरे समाज में साक्ष्य आधारित प्रथाओं को आगे बढ़ाएगी। यह विनियामक तंत्र भी निर्धारित करेगी तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास पद्धति के मानदंडों तथा मानकों और इससे संबंधित मामलों के लिए मानदंडों एवं मानकों के उपयुक्त अनुपालन का सुनिश्चय करेगी।

3. अवधारणा

यह स्वीकार करते हुए कि बाल विकास सतत् एवं संचयी प्रक्रिया है जो जीवन चक्र के दृष्टिकोण का अनुसरण करता है, व्यापक बाल विकास की दिशा में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख तथा शिक्षा साक्ष्य आधारित संकल्पना और प्रथाओं को दृढ़तापूर्वक स्थापित करना।

4. लक्ष्य

- उत्तरदायी पणधारियों में ईसीसीई के परिणामों के लिए समान जिम्मेदारी को बढ़ावा देना।
- गुणवत्ता का सुनिश्चिय करना, साक्ष्य आधारित साधन, संसाधन, प्रक्रियाएं, पद्धतियां तथा जागरूकता सामग्री उपलब्ध कराना।
- ईसीसीई के सभी पहलुओं में सुधार के लिए प्रणालियां एवं नेटवर्क विकसित करना, सहायता देना एवं स्थापित करना।
- सतत् गुणात्मक सुधार के प्रति वचनबद्धता के साथ परिणामों तथा संकेतकों को विनियमित करना, उनका पर्यवेक्षण करना तथा उनकी मानीटरिंग करना।

5. परिणाम

- सर्वांगीण, समेकित तथा ईष्टतम बाल विकास प्राप्त करना और विकास में विलंब पर रोक लगाना।
- गुणात्मक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख तथा शिक्षा सेवाओं की व्यापक तथा स्थाई प्रणालियां।
- ईसीसीई क्षेत्र के बारे में सार्वजनिक जागरूकता तथा पेशेवराना अंदाज में सुधार।

6. अधिदेश

1. ईसीसीई के कार्यक्रमों एवं सेवाओं के लिए नीतियां, कार्यान्वयन दिशानिर्देश तैयार करना।
2. ईसीसीई में व्यवस्थित सुधार लाने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए ईसीसीई की जानकारी का विकास करना, प्रसार करना और उपयोग करना।
3. नई रणनीतियों तथा विकल्पों की खोज करना तथा ईसीसीई में नवाचारों को व्यापक बनाने और उन्हें कायम रखने के तरीकों का पता लगाना।

7. परिषद् के कार्य

परिषद् का यह कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसे सभी कदम उठाए जो उसे ईसीसीई के मानकों के निर्धारण और उन्हें कायम रखने के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा की नीतियों, रूपरेखाओं तथा अन्य प्रावधानों का योजनाबद्ध और समेकित विकास सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रतीत हों तथा राष्ट्रीय ईसीसीई नीति के अन्तर्गत अपने कार्यों के निष्पादन के लिए परिषद् निम्नलिखित कार्य कर सकती है:

1-G-02/M/O W+CD/13

(क) नीतियों के कार्यान्वयन में सुधार करने तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख तथा शिक्षा के संबंध में सरकार की उपयुक्त योजनाओं एवं कार्यक्रमों को तैयार करने के मामले में सरकार को रणनीति संबंधी निदेश तथा परामर्श देना।

(ख) राष्ट्रीय ईसीसीई नीति के लिए समग्र आयोजना का नेतृत्व करना।

(ग) राष्ट्रीय ईसीसीई नीति के अंतर्गत निर्दिष्ट सभी ईसीसीई गतिविधियों का नेतृत्व एवं प्रतिनिधित्व करना तथा सुनिश्चित करना कि वे अच्छी तरह नियोजित, कार्यान्वित एवं मूल्यांकित हों।

(घ) ईसीसीई सेवा प्रदायगी में साम्यपूर्ण एवं तर्कसंगत विधियां लाने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करना।

(ङ) सभी छोटे बच्चों के इष्टतम ईसीसीई सेवाएं सुनिश्चित करना।

(च) देश में ईसीसीई प्रावधानों तथा उनकी सुलभता और उपलब्धता का समन्वय करना तथा उनकी मानीटरिंग करना।

(छ) परिषद् द्वारा निर्धारित मानदंडों, दिशानिर्देशों एवं मानकों के कार्यान्वयन की जांच करना और आवधिक आधार पर समीक्षा करना तथा संस्थाओं को उपयुक्त ढंग से सलाह देना।

(ज) ऐसी प्रणालियों की स्थापना को प्रोत्साहित करना जो ईसीसीई के लिए जोखिम कारकों को घटाएं तथा ईसीसीई के लिए संरक्षी कारकों/उपायों को बढ़ावा दें।

(झ) नए कार्यक्रम आरंभ करने के लिए और भौतिक तथा शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्टाफिंग प्रणाली (पैटर्न) तथा स्टाफ अर्हता के लिए ईसीसीई संस्थाओं द्वारा अनुपालन के लिए दिशानिर्देश तैयार करना।

(ञ) ईसीसीई संस्थाओं पर जवाबदेही लागू करने के लिए उपयुक्त निष्पादन प्रणाली, मानदंड एवं तंत्र विकसित करना।

(ट) विभिन्न स्तरों पर ईसीसीई पेशेवर के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम योग्यताओं के संबंध में दिशानिर्देश निर्धारित करना।

(ठ) ईसीसीई कार्यक्रमों द्वारा प्रयुक्त खेल उपकरण, खेल सामग्री, खेल-स्थान, फर्नीचर, पुस्तकों तथा बाल साहित्य आदि के लिए मानदंड तथा मानक निर्धारित करना।

(ड) ईसीसीई प्रावधानों के व्यावसायीकरण तथा बच्चों के विकास की दृष्टि के अनुपयुक्त शिक्षा को रोकने के लिए सभी अनिवार्य कदम उठाना।

(ढ) शैक्षिक संस्थाओं में शिक्षकों तथा अन्य स्टाफ के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास पर सलाह देना।

(ण) प्रारंभिक बाल्यावस्था व्यावसायिकों के लिए कारगर कोचिंग तथा समकक्ष सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रणालियां स्थापित करना।

(त) पूरे देश में ईसीसीई के लिए जीवंत, गतिशील अनुसंधान नेटवर्क तथा सूचना की हिस्सेदारी के लिए सुगम्य ज्ञान प्रबंधन प्लेटफार्म विकसित करना।

(थ) ईसीसीई से संबंधित बृहत्तर क्षेत्र में ऐसे कार्य करना जो उपयुक्त हों या केन्द्र सरकार द्वारा इसे सौंपे गए हों, या संबंधित मंत्रालयों और प्राधिकरणों के सहयोग से हों।

8. परिषद की संरचना

इस परिषद् में सभी संबद्ध विभागों/मंत्रालयों, गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के प्रतिनिधियों, सभ्य समाज के संगठनों, व्यावसायिकों, पेशवरों, शिक्षाविदों, बाल अधिकार कार्यकर्ताओं आदि का व्यापक रूप से प्रतिनिधित्व होगा।

सामान्य परिषद

1.	मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	अध्यक्ष
2.	सदस्य, डब्ल्यूसीडी, योजना आयोग	उपाध्यक्ष
3.	सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	(कार्यपालक) उपाध्यक्ष
4.	अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग	सदस्य
5.	सचिव, मानव विकास संसाधन मंत्रालय	सदस्य
6.	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य
7.	सचिव, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य
8.	सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	सदस्य
9.	सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय	सदस्य
10.	सचिव, पंचायती राज मंत्रालय	सदस्य
11.	सचिव, व्यय विभाग	सदस्य
12.	संयुक्त सचिव (ईसीसीई), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	सदस्य सचिव
13.	संयुक्त सचिव (आईसीडीएस, पोषण), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	सदस्य
14.	वित्तीय सलाहकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	सदस्य
15.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की ईसीसीई परिषदों के पांच (5) अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, जो हर दो साल में बारी-बारी से मनोनीत होंगे	सदस्य

16.	गृह विज्ञान कॉलेजों के मानव संसाधन विकास विभागों के दस (10) संकायाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष/प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा में ज्ञात रुचि एवं योगदान वाले ईसीसीई विशेषज्ञ जिन्हें भारत सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा	सदस्य
17.	प्रत्येक क्षेत्र (उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम एवं उत्तर पूर्व) से एक के हिसाब से ईसीसीई के स्वतंत्र प्रभार वाले डब्ल्यूसीडी मंत्रालय/ विभाग से राज्यों के पांच (5) प्रतिनिधि, जो हर दो साल में बारी-बारी से मनोनीत होंगे	सदस्य

सदस्य सचिव समिति के अध्यक्ष/(कार्यपालक) उपाध्यक्ष की अनुमति से ईसीसीई विशेषज्ञों, विकास साझेदारों आदि को सहयोजित एवं आमंत्रित कर सकते हैं। परिषद् के निर्णय के अनुसार और/या समय-समय पर सरकार के निदेश के अनुसार बैठकें होंगी।

कार्यकारिणी समिति

1.	सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (कार्यकारिणी समिति के पदेन अध्यक्ष)	अध्यक्ष
2.	वरिष्ठ सलाहकार/सलाहकार, डब्ल्यूसीडी, योजना आयोग	सदस्य
3.	संयुक्त सचिव (ईसीसीई), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	सदस्य संयोजक
4.	संयुक्त सचिव (आईसीडीएस, पोषण), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	सदस्य
5.	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	सदस्य
6.	संयुक्त सचिव, मानव विकास संसाधन मंत्रालय (प्रभारी प्रारंभिक शिक्षा, एसएसए)	सदस्य
7.	संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य
8.	संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	सदस्य
9.	प्रत्येक क्षेत्र (उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम एवं उत्तर पूर्व) से एक के हिसाब से 5 राज्यों से डब्ल्यूसीडी और/या ईसीसीई के सचिव, जो हर दो साल में बारी-बारी से मनोनीत होंगे।	सदस्य
10.	क्षेत्रीय समितियों, विशेषज्ञों एवं पेशेवर निकायों के छह (6) प्रतिनिधि	सदस्य
11.	निदेशक, निपसिड	सदस्य
12.	निदेशक, एनसीईआरटी	सदस्य

अध्यक्ष की अनुमति से विशेषज्ञों/विकास साझेदारों को सहयोजित एवं आमंत्रित किया जा सकता है।

9. कार्यकाल

मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा।

पदेन सदस्यों से भिन्न आकस्मिक रिक्तियों को उस प्राधिकारी द्वारा भरा जाएगा जिसने उन सदस्यों को मनोनीत किया था जिनका स्थान रिक्त हुआ है।

आकस्मिक रिक्ति पर मनोनीत व्यक्ति कार्यकाल की ऐसी शेष अवधि के लिए परिषद का सदस्य होगा, जिसके लिए वह सदस्य, जिसके स्थान को वह भरेगा, सदस्य रहता।

10. विचारार्थ विषय

राष्ट्रीय ईसीसीई परिषद् को तकनीकी विशेषज्ञता एवं दक्षता निर्मित करने और ईसीसीई के क्षेत्र में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए ऐसे विषयों पर जिन्हें संगत समझा जा सकता है, विषयपरक/तकनीकी समितियां गठित/सृजित करने का अधिकार होगा।

कार्यकारिणी समिति शासी (सामान्य) परिषद् के निर्णयों को निष्पादित एवं कार्यान्वित करेगी। यह परिषद् के निर्णयों को लागू करने के लिए अधिकृत होगी। यह परिषद् के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए परिषद् के निदेशों/निर्णयों के अनुसार विषयपरक उप समितियां गठित कर सकती है।

राष्ट्रीय ईसीसीई नीति के अनुसार क्षेत्रीय परिषदों की समितियां स्थापित की जाएंगी तथा आबंटित कार्य संपन्न करेंगी एवं राज्य में परिषद् के कार्यों के कार्यान्वयन एवं समग्र नीति कार्यान्वयन का समग्र रूप से मानीटरन करेंगी।

राष्ट्रीय ईसीसीई नीति के अनुसार राज्य परिषदों की समितियां स्थापित की जाएंगी तथा जिला एवं निचले स्तर पर कार्यान्वयन का समग्र रूप से मानीटरन करेंगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि आम सूचना के लिए संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

ह./- अपठनीय
सचिव

[EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA, PART I—SEC. 1, dated 15th March 2014]

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

New Delhi, the 26th February 2014

RESOLUTION

National Early Childhood Care and Education Council

No. 1-1/2013-ECCE—The National Early Childhood Care Education (ECCE) Policy envisages a National Early Childhood Care and Education (ECCE) Council for laying the system of early childhood care and education in India. The National ECCE Council will lay the national vision and strategy for ECCE and would contribute to strengthen the foundation of ECCE programmes in India by establishing a comprehensive ECCE system. The National ECCE Council would be a national level organization under the Ministry of Women and Child Development, Government of India for providing systems of training, curriculum framework, standards and related activities; and promoting action research with an aim to improve the field of early childhood care and education.

It will be initially an advisory and oversight body, gradually becoming an autonomous regulatory body for systemic improvements in the field of ECCE. National Institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD) would play the role of knowledge repository for the ECCE Council and support initially with requisite support of accommodation and logistics. Similarly, Regional ECCE Councils may be established at the NIPCCD Regional Centres through synergistic partnerships with ECCE related programme system, State Councils for Education Research and Training (SCERTs)/State Institutes of Education and Training (SIETs) and Universities. States would also be encouraged to form State ECCE Councils to bring in systemic synergies.

2. Objective

The main objective of the National ECCE Council is to embed the concept and practice for holistic and integrated development of the young children in the age group of 0-6 years with requisite quality. This would be achieved by establishing a comprehensive ECCE system and developing an integrated framework that would contribute to strengthen the foundation of ECCE programmes in India by facilitating and supporting multimodal and multicomponent interventions; long term data collection and planning; and more efficient inter-sectoral service delivery mechanisms and platforms.

The council would promote ECCE and related polices and advance evidence-based practices in families, communities and society at large including professionals and caregivers. It will also lay down the regulatory mechanism and ensure proper adherence to norms and standards in the early childhood development system and for mattters connected therewith.

3. Vision

To firmly establish evidence based concept and practices of early childhood care and education towards holistic child development by recognizing that child development is continuous and cumulative that follows a lifecycle approach.

4. Goals

- To promote shared responsibility for ECCE outcomes among responsible stakeholders
- To ensure quality, make available evidence-based tools, resources, processes, methodologies and advocacy material
- To develop, support and eatsblish systems and networks for improvement in all facets of ECCE.
- To regulate, supervise and monitor ECCE services with a commitment to continuous quality improvement.

5. Outcomes

- Achieve holistic, integrated and optimal child development and prevention of development delays
- Comprehensive and sustainable systems of quality early childhood care and education services
- Improvement in public awareness and professionalism of ECCE sector.

6. Mandate

1. Formulation of policies, implementation guidelines for ECCE programmes and services.
2. Development, dissemination, application of knowledge of ECCE for strengthening and bringing in systemic reforms in ECCE.
3. Explore new Strategies and alternatives and identifying ways and means to scale and sustain innovations in ECCE.

7. Functions of the Council

It shall be the duty of the Council to take all such steps as it may think fit for ensuring planned and co-ordinated development of early childhood care and education policies, frameworks and other provisions for the determination and maintenance of standards for ECCE and for the purposes of performing its functions under the national ECCE Policy, the Council may:—

a. Issue strategic directions and advisories to the Government of improving the implementation of policies and in the matter of preparation of suitable plans and programmes of Government with regard to early childhood care and education

b. Lead overall planning for the National ECCE Policy

c. Lead and delegate all ECCE activities specified under the National ECCE Policy and ensure that they are well planned, implemented and evaluated

d. Lay down guidelines to bring in equity and rational methods in ECCE service delivery

e. Ensure optimum ECCE services for all young Children

f. Co-ordinate and monitor ECCE provisions and their access and availability in the country

g. Examine and review periodically the implementation of the norms, guidelines and standards laid down by the Council, and suitably advise the institutions

h. Encourage establishment of systems that reduce risk factors for ECCE and promote protective factors/measures for ECCE

i. Lay down guidelines for compliance by ECCE institutions, for starting new programmes, and for providing physical and instructional facilities, staffing pattern and staff qualification

j. Evolve suitable performance appraisal system, norms and mechanism for enforcing accountability on ECCE institutions

k. Lay down guidelines in respect of minimum qualifications for a person to be employed as an ECCE professional at various levels

l. Set norms and standards for play equipment, play materials, play space, furniture, books, children's literature etc. used by ECCE programmes

m. Take all necessary steps to prevent commercialisation of ECCE provisions and developmentally inappropriate education of children

n. Advise on the development of training programmes on early childhood care and education for educators and other staff in educational institutions

o. Establishing systems for providing effective coaching and peer-to-peer support for early childhood professionals

p. Developing a vibrant, dynamic research network in ECCE across the country and an accessible knowledge management platform for information sharing

q. Take such action in the larger field relating to ECCE as may be appropriate or entrusted to it by the Central Government, or in collaboration with relevant line Ministries and authorities.

8. Structure of the Council

The Council will have wider representations from all converging Departments/Ministries, representatives of NGOs, civil society organizations, professionals, practitioners, academicians, child rights activists etc.

General Council

1.	Minister, Ministry of Women and Child Development	Chairperson (President)
2.	Member, WCD, Planning Commission	Vice-President
3.	Secretary, Ministry of Women and Child Development	(Executive) Vice-President
4.	Chairperson, National Commission for Protection of Child Rights	Member
5.	Secretary, Ministry of Human Resource Development	Member
6.	Secretary, Ministry of Health and Family Welfare	Member
7.	Secretary, Department of Ayush, Ministry of Health and Family Welfare	Member
8.	Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment	Member
9.	Secretary, Ministry of Rural Development	Member
10.	Secretary, Ministry of Panchayati Raj	Member
11.	Secretary, Expenditure	Member
12.	Joint Secretary (ECCE)	Member Secretary
13.	Joint Secretary, (ICDS Nutrition) Ministry of Women and Child Development	Members
14.	Financial Advisor, Ministry of Women and Child Development	Member
15.	Five (5) Chairpersons/Vice Chairpersons of State/UTs ECCE Councils by rotation every two years	Members
16.	Ten (10) Deans/Head of Departments of Human Development Departments in Home Science Colleges/ECCE experts with known interest and contribution in the field of Early Childhood Care and Education nominated by Government of India	Members
17.	Five (5) representatives of States from WCD Ministry/Department, one from each region (North, South, East, West and North East), with independent charge of ECCE by rotation for every two years.	Members

The Member Secretary may co-opt and invite ECCE experts, Development partners etc. with the permission of the Chairperson (President)/(Executive) Vice President of the Committee. The meetings will be held as decided by the council and/or as directed by Government from time-to-time.

Executive Committee

1.	Secretary, Ministry of Women and Child Development (ex-officio Chairperson of the Executive Committee)	Chairperson
2.	Senior Advisor/Advisor, WCD, Planning Commission	Member
3.	Joint Secretary (ECCE), Ministry of Women and Child Development	Member Convenor
4.	Joint Secretary, (ICDS, Nutrition), Ministry of Women and Child Development	Members
5.	JS & FA, Ministry of Women and Child Development	Member
6.	Joint Secretary, Ministry of Human Resource Development (in-charge, Elementary Education, SSA)	Member
7.	Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare	Member
8.	Joint Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment	Member
9.	Secretaries of WCD and/or ECCE from 5 states, 1 from each region, (North, South, East, West and North East) by rotation every two years	Members
10.	Six (6) Respresentatives from, Regional Committees, experts and professional bodies	Members
11.	Director, NIPCCD	Member
12.	Director, NCERT	Member

Experts/Development partners may be co-opted and invited with the permission of the Chairperson.

9. Tenure

The tenure of the nominated members shall be two eyars.

The casual vacancies, other than ex-officio members, shall be filled by the authority which nominated those members whose place falls vacant.

The person nominated to a casual vacancy shall be a member of the Council for the residue of the term for which the member whose place he/she fills would have been a member.

10. Terms of Reference –

The National ECCE Council will have powers to create/ constitute thematic/technical committees on themes as may be considered relevant, to build technical expertise and competence and to meet the emerging challenges in the field of ECCE.

The Executive Committee will execute and implement the decisions of the governing (General) Council. It will be empowered to implement the decisions of the Council. It may constitute thematic Sub-Committee as per directions/ decisions of the Council for furthering the functions of the Council.

The Committees of the Regional Councils would be established as per National ECCE Policy and would perform its assigned task and do overall monitoring of the implementation of functions of the Council & overall policy implementation in the State.

The Committees of the State Councils would be established as per National ECCE Policy and perform the overall monitoring of the implementation in the districts and below level.

Order

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministeries/Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resoloution be published in the Gazette of India for general information.

Sd/- Illegible
Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014
www.dop.nic.in

G-02 Min. of W & CD/2013—500 Copies.